झारखण्ड सरकार

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग

काली नगर, चायबगान नामकोम, रांची–834010.
E-Mail- Jharkhand_ssc@rediffmail.com

संक्षिप्त विज्ञापन

विज्ञापन संख्या–21 / 2016

संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा–2016

1. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्र संख्या–11 / क॰च॰आ॰–02–08 / 2016 का॰ – 8280 (अनु॰) दिनांक 23.09.2016 तथा पत्रांक–9441 / अनु॰ दिनांक–04.11.2016 के द्वारा राज्य के सभी जिलों के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के लिए विभिन्न विषयों के स्नातक प्रशिक्षित शिक्षको की रिक्तियों के विरूद्ध नियुक्ति के लिए सुयोग्य उम्मीदवारों के चयन हेतु भारत के नागरिकों से विहित प्रपत्र में संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक **प्रतियोगिता परीक्षा–2016** के लिये ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। उम्मीदवार अर्हता अनुसार निम्नांकित शैक्षणिक योग्यता तथा निर्धारित आयु सीमा के अन्तर्गत आवेदन दे सकते हैं। ऑनलाईन (Online) आवेदन आयोग के वेबसाईट **www.jssc.in** पर लॉगईन **(Login)** करके समर्पित किया जा सकता है।

2. **रिक्तियों का विवरण :–**

(I) अनुसूचित जिलों की रिक्तियाँ

रॉंची, खूँटी, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला–खरसावाँ, लातेहार, दुमका, जामतारा, पाकुड़ एवं साहेबगंज जिलो के लिए हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, उड़िया, बंगला, फारसी, नागपुरी, पंचपरगनिया, कुरमाली, मुंडारी, कुडुख, गणित एवं भौतिकी, जीव विज्ञान एवं रसायन शास्त्र, इतिहास एवं नागरिक शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, शारीरिक शिक्षा, गृह विज्ञान, वाणिज्य, संगीत, उराँव, कृषि, हों तथा संथाली विषयों के शिक्षकों की कुल रिक्तियाँ **8423** हैं।

(II) गैर अनुसूचित जिलों की रिक्तियाँ

गढ़वा, पलामु, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, गोड्डा एवं देवघर जिलो के लिए हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, उड़िया, बंगला, फारसी, नागपुरी, पंचपरगनिया, कुरमाली, मुंडारी, कुडुख, गणित एवं भौतिकी, जीव विज्ञान एवं रसायन शास्त्र, इतिहास एवं नागरिक शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, शारीरिक शिक्षा, गृह विज्ञान, वाणिज्य, संगीत, उराँव, हों, खोरठा, संथाली एवं अरेबिक विषयों के शिक्षकों की कुल रिक्तियाँ **9149** है।

टिप्पणी– अनुसूचित जनजाति के लिए विज्ञापित पदों की संख्या में दो प्रतिशत पद आदिम जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए क्षैतिज आरक्षण के तहत अनुमान्य होगा। आदिम जनजाति के योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उक्त कर्णांकित पद अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा भरा जा सकेगा।

3. परीक्षा के लिए आवेदन देने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित हो लें कि वे विज्ञापित पद की पात्रता के विषय पर प्रकाशित सभी शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः औपबन्धिक होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना प्रमाणित नहीं करता है कि अभ्यर्थी विज्ञापित पद पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं क्योंकि आयोग परीक्षा के बाद यथोचित संख्या में अभ्यर्थियों की पात्रता से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की जाँच कर सकता है।

4. कंडिका– 2 में वर्णित पदों का वेतनमान एवं न्यूनतम शैक्षिणिक योग्यता निम्नवत् है:–

क्रम सं.	पदनाम	वेतनमान	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता
1	2	3	4
1	संगीत छोड़कर अन्य सभी विषयों के शिक्षक	वेतन बैंड पी.बी. III – रू. 9300–34800 ग्रेड वेतन – रू. 4600	संबधित विषय (जिसमें नियुक्ति होनी है) में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक डिग्री तथा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से बी0एड0 अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा बी0एड0 के समकक्ष घोषित डिग्री। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए संबधित विषय (जिसमें नियुक्ति होनी है) में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक डिग्री तथा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से बी0एड0 अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा बी0एड0 के समकक्ष घोषित डिग्री।
2	संगीत शिक्षक	वेतन बैंड पी.बी. III – रू. 9300–34800 ग्रेड वेतन – रू. 4200	राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा बोर्ड से मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण एवं राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संगीत में स्नातक डिग्री अथवा समकक्ष तथा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से बी0एड0 अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा बी0एड0 के समकक्ष घोषित डिग्री।

(i) स्नातक डिग्री राज्य सरकार अथवा केन्द सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से होना आवश्यक है।

(ii) मान्यता प्राप्त संस्थान से बी0एड0 की डिग्री से अभिप्रेत है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद– (NCTE) द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अस्तित्व में आने की तिथि 17.08.1995 से पूर्व के मामलों में केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान।

(iii) वैसे आवेदक जिन्होंने ग्रेड पद्धति / क्रेडिट पद्धति अथवा किसी अन्य पद्धति से स्नातक परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त किया है वे निर्धारित प्रतिशत अंक के समतुल्य ग्रेड / क्रेडिट आदि प्राप्त रहने पर जो संबधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत हो आवेदन देने के योग्य होंगे। समतुल्यता के संबंध में अ ि त म निर्णय आयोग का होगा।

(iv) **शैक्षणिक योग्यता (स्नातक उत्तीर्ण) के निर्धारण के लिए Online आवेदन देने की अंतिम तिथि को आधार तिथि (Reference Date) माना जायेगा। यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि तक निर्धारित स्नातक योग्यता नहीं धारित करते हैं तथा वांछित शर्त पूरा नहीं करते हैं तो वे आवेदन भरने के लिए अयोग्य समझे जायेंगे।**

(v) **वैसे अभ्यर्थी, जो मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से बी0एड0 अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद इसके अस्तित्व में आने की तिथि 17.08.1995 से पूर्व के मामलों में केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त संस्थान के द्वारा बी0एड0 के लिए समकक्ष डिग्री हेतु प्रशिक्षण पुरा कर लिए हैं तथा प्रशिक्षण की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं भी आवेदन समर्पित करने के पात्र होंगे। परंतु ऐसे अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण परीक्षाफल इस शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के परीक्षाफल प्रकाशित होने के पूर्व यथा आयोग द्वारा निर्धारित तिथि तक समर्पित करना आवश्यक होगा। आयोग द्वारा निर्धारित तिथि तक शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र समर्पित नहीं किए जाने की स्थिति में उक्त अभ्यर्थी की उम्मीदवारी स्वतः समाप्त समझी जायेगी।**

5. (i) **एक अभ्यर्थी सिर्फ एक जिला की रिक्ति के विरूद्ध आवेदन दे सकते हैं। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक जिलों के लिए आवेदन दिया जाता है तो उनकी उम्मीदवारी स्वतः रद्द हो जायेगी और यह समझा जायेगा कि उन्होने किसी भी जिला के लिए आवेदन ही नहीं दिया है।**

(ii) **न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताधारी वैसे अभ्यर्थी जो स्नातक के विषयों के आधार पर एक से अधिक विषयों के पद / पदों की अर्हता रखते हैं वे एक से अधिक विषयों के लिए आवेदन भर सकते हैं। इस निमित आवेदन में विकल्प उपलब्ध रहेंगे किन्तु यह विकल्प किसी एक जिले के लिए सीमित रहेगा जिसके लिए आवेदन दिया जा रहा हो।**

(iii) **अनुसूचित जिलों की रिक्तियों के विरूद्ध सिर्फ उसी जिले के स्थानीय निवासी आवेदन दे सकते हैं जिस जिला की रिक्तियाँ विज्ञापित है। उदाहरण स्वरूप राँची जिला की रिक्तियों के विरूद्ध सिर्फ राँची जिला के स्थानीय निवासी ही आवेदन दे सकते हैं।**

(iv) **झारखण्ड राज्य के सरकारी प्रारम्भिक विद्यालयों के शिक्षक जिन्होने न्यूनतम पाँच वर्षों का अनुभव प्राप्त कर लिया है तथा जिन्हें अन्य आवश्यक अर्हता प्राप्त है, वे कर्णांकित पदो (25 प्रतिशत रिक्ति) पर आवेदन देने के पात्र होंगे।**

(v) **गैर अनुसूचित जिलों की रिक्तियों के विरूद्ध अर्हता प्राप्त सभी अभ्यर्थी आवेदन दे सकते हैं किन्तु यथा कंडिका– i में वर्णित यह आवेदन सिर्फ एक जिला के लिए ही सीमित रहेगा।**

6. **आयु सीमा** :– न्यूनतम तथा अधिकतम आयु सीमा की गणना 01 जनवरी 2016 के संदर्भ में की जायेगी :–

(क) न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष।

(ख) अधिकतम आयु सीमा :–

Govtjobsdata
grab the chance

क्रम संख्या	वर्ग	अन्य अभ्यर्थियों के लिए	सरकारी प्रारम्भिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए
1.	अनारक्षित / सामान्य–	40 वर्ष	45 वर्ष
2.	महिला { अनारक्षित / अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची– 1) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2) }	43 वर्ष	48 वर्ष
3.	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची– 1) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2)	42 वर्ष	47 वर्ष
4.	अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति (पुरुष एवं महिला)	45 वर्ष	50 वर्ष

सभी वर्ग के (प्रारम्भिक विद्यालयो के शिक्षक सहित) निःशक्त अभ्यर्थियों जिनकी निःशक्तता का प्रतिशत 40 अथवा इससे अधिक हो, को आयु सीमा में पाँच वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जायेगी।

7. **आरक्षण :–**

(I) आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

(II) आरक्षण का लाभ एवं उम्र सीमा में छूट केवल झारखण्ड राज्य के निवासी को ही देय होगा। झारखण्ड राज्य के बाहर के सभी उम्मीदवार अनारक्षित / सामान्य वर्ग के माने जायेंगे।

(III) गैर अनुसूचित जिलों की रिक्तियों के विरूद्ध क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत महिला आरक्षण तथा निःशक्तता आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए अनारक्षित वर्ग की महिला तथा निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(IV) अनुसूचित जिलों की रिक्तियों के विरूद्ध आवेदन देने वाले सभी अभ्यर्थियों को संबंधित जिले का स्थानीय निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(V) विज्ञापन प्रकाशन की तिथि तक झारखण्ड सरकार द्वारा लागू आरक्षण सम्बन्धी सभी नियम प्रभावी होंगे।

8. **ON LINE आवेदन पत्र को भरना एवं (Submit) करना :–** ऑन–लाईन आवेदन को भरने के लिए दिए गये दिशा निदेश का अक्षरशः पालन करें। आवेदन पत्र में दी गई सूचनाओं से पूर्ण संतुष्ट होने के पश्चात ही आवेदन पत्र को जमा (Submit) करें। आवेदन पत्र भरने के लिए आयोग के वेबसाईट www.jssc.in पर जाएँ एवं Online Application for CGTTCE-2016 पर Click करें तथा आवेदन पत्र भरें। **आवेदकों को सूचित किया जाता है कि आवेदन Submit करने के पूर्व भरे गये आवेदन को ठीक से देख लें। यदि कोई त्रुटि है तो उसे सुधार कर ही आवेदन Submit करें। एक बार आवेदन Submit करने के पश्चात् परीक्षाफल को प्रभावित करने वाले किसी भी प्रविष्टि में सुधार का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा और भरे गये आवेदन के आधार पर ही आवेदक की परीक्षा ली जायेगी।**

(i) **ऑनलाईन आवेदन में क्षैतिज आरक्षण तथा अनुसूचित जिलों की रिक्तियों के विरूद्ध आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों को झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र संख्या तथा दिनांक भरना अनिवार्यतः आवश्यक होगा। दिनांक 02.06.2016 के पश्चात निर्गत झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। विहित प्रपत्र परिशिष्ट– III में है।**

(ii) **अनूसूचित जिलों तथा अन्य जिलों में आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र का प्रमाण पत्र संख्या तथा दिनांक भरना आवश्यक होगा।**

प्रमाण पत्र अनिवार्यतः आवेदन देने की तिथि अथवा उसके पूर्व का होना चाहिए।

9. **परीक्षा का स्वरूप :–**

1. **परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम** :– परीक्षा एक चरण में ली जायेगी –
परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर युक्त होंगे।
परीक्षा की भाषा हिन्दी होगी। (भाषा विषयों को छोड़कर)

10. **परीक्षा** :– परीक्षा दो पत्रों में होगी:–

(क) प्रश्न पत्र – (1) सामान्य ज्ञान एवं हिन्दी भाषा की परीक्षा – 200 अंक
(ख) प्रश्न पत्र – (2) जिस विषय में नियुक्ति होनी है उस विषय – 300 अंक की परीक्षा

(i) प्रश्न पत्र–1 में कुल 200 प्रश्न होंगे। 100 प्रश्न सामान्य ज्ञान तथा 100 प्रश्न हिन्दी भाषा से होंगे प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर के लिए 1 अंक दिये जायेंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए .33 अंक (दशमलव तीन तीन) की कटौती की जायेगी। प्रश्न पत्र–2 में कुल 150 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर के लिए 2 अंक दिये जायेंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए .66 अंक (दशमलव छः छः) की कटौती की जायेगी।

(ii) उक्त प्रश्न पत्र (1) एवं प्रश्न पत्र (2) की परीक्षाएँ तीन–तीन घंटे की होंगी, अर्थात प्रत्येक प्रश्न पत्र की परीक्षा तीन घंटे की होगी। प्रश्न पत्र (1) अर्हक (Qualifying) प्रश्न पत्र होगा, अर्थात इसमें मात्र न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। परन्तु जिन अभ्यर्थियों द्वारा 33 प्रतिशत अंक प्राप्त नहीं किया जाता है, उनके प्रश्न पत्र (2) की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा। प्रश्न पत्र (1) में स्नातक स्तर के प्रश्न पूछे जायेंगे।

(iii) प्रश्न पत्र (2) के प्रश्न स्नातक स्तरीय होंगे तथा प्रश्न पत्र (2) में न्यूनतम अंक 50 प्रतिशत लाना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को 45 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। अनिवार्य अंक अथवा इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की एक मेधा सूची जिलावार एवं विषयवार तैयार की जायेगी। उक्त मेधा सूची ही स्नातक प्रशिक्षित पद पर नियुक्ति का आधार होगी। प्रश्न पत्र (1) एवं (2) वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे।

11. **परीक्षा शुल्क:–**

परीक्षा शुल्क रू. 460 (चार सौ साठ रूपये) है।

परीक्षा शुल्क में छूट:– झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा शुल्क रू. 115 (एक सौ पन्द्रह रूपये) है। झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति कोटि से इतर कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जा सकती है। बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और ये रद्द किये जा सकेंगें। परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय (Non Refundable) होगा।

12. **ऑन–लाईन आवेदन भरने के लिए लिंक दिनांक 06.01.2017 के 11.00 बजे पूर्वाहन् से आयोग के वेबसाईट– www.jssc.in पर उपलब्ध होगा तथा आवेदन को भेजने (Submit) करने की अन्तिम तिथि दिनांक 05.02.2017 संध्या 05.00 बजे तक है।**

13. **यह विज्ञापन आम जानकारी के लिए संक्षिप्त रूप से प्रकाशित की जा रही है। संपूर्ण विज्ञापन तथा विवरणिका आयोग के वेवसाईट– www.jssc.in पर उपलब्ध है। जिसमें दी गयी जानकरी के अनुसार ही अभ्यर्थी अपना आवेदन समर्पित करें।**

ह॰ / –
परीक्षा नियंत्रक

PR 153677(Jharkhand Staff Selection Commission)16-17

Wed, 28 December 2016

Govtjobsdata
grab the chance